

कार्यालय उप वन संरक्षक, इगानप, स्टेज-II, बीकानेर

दिनांक:

क्रमांक- एफ()सर्वे/उवसं-स्टेज-II/2020-21/
निमित्त-

Violation Report

(For the forest land to be diverted under FCA)

Name of Project: Upgradation to 2 lane with paved shoulder/ 4 lane of Khajuwala - Poogal Section (Design chainage 0+000 to 30+812) and Poogal - Dantour - Jaggasar - Gokul - Goddu- Ranjitpura - Charanwala - Naukh - Bap section of NH-911 (Design chainage 1+430 to 182+725) (Total Length 212.107 Km) under Bharatmala Pariyojna in the state of Rajasthan on Hybrid Annuity Mode.

(Proposal No.: FP/RJ/ROAD/41036/2019)

Date of Proposal: 08.07.2019

- 1- भारत माला सड़क परियोजना पैकेज-10 में इस कार्यालय अधीन चैनेज 076.650 से 76.835 किमी में वन खण्ड चक 5 HLM में 250 वर्ग मीटर व चैनेज 93.295 से 93.350 किमी में, वन खण्ड 19 GMR में 125 वर्ग मीटर व चैनेज 109.130 से 109.295 किमी में वन खण्ड 4 PSSM में 125 वर्ग मीटर इस प्रकार कुल $= 250+125+125=500$ वर्ग मीटर $= 0.05$ हैक्टर वन भूमि में सहवन से सड़क का निर्माण कार्य यूजर ऐजेन्सी द्वारा करवाया गया है। जो नगण्य मात्र है।
- 2- यूजर ऐजेन्सी द्वारा 6.8806 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में विद्यमान सड़क (Road) का ऐरिया एफसीए प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वन खण्ड 32,33 CWB , 2,3 BKM , में सम्पूर्ण बीघा पूर्ण रूप से वन विभाग को आवंटित है। तथा सड़क में आ रहे है। जिसका कारण यूजर ऐजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण 1980 से पूर्व का होना बताया गया है। इसके स्पॉट में यूजर ऐजेन्सी द्वारा 1972 में GREF से चार्ज लेन-देन की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की दिनांक 12.12.2019 को आयोजित मीटिंग में गजट नोटिफिकेशन से पूर्व में निर्मित सड़क को FCA के प्रस्ताव में शामिल नहीं करने की मीटिंग की Proceeding प्रस्तुत की है।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 14 () 2004/वसु/प्रमुवसं/11547-11696 दिनांक 08.10.2004 द्वारा निर्धारित अभिलेख यूजर ऐजेन्सी द्वारा राजस्व, रिकार्ड जीटी शीट जिनमें उक्त सड़क दिनांक 25.10.1980 से पूर्व निर्माण के प्रमाण सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

इस कार्यालय मतानुसार पूर्व निर्मित सड़क में जो भूमि वन विभाग को आवंटित है। FCA में शामिल की जानी चाहिए। इस कार्यालय द्वारा बार-बार लिखने व कहने पर यूजर ऐजेन्सी द्वारा शामिल नहीं कि गई है।

क्र.सं.	नाम चक	वायलेटिड एरिया (है0)
1	5 HLM	0.0250
2	19 GMR	0.0125
3	4 PSSM	0.0125
	Total	0.05 हैक्टर

[Signature]
उपवन संरक्षक
इ.ग.न.प. स्टेज-II
बीकानेर